

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

झारखण्ड विधान-सभा कार्य-सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा	शुक्रवार, तिथि-	20 जुलाई, 2018 (ई०)
[त्रयोदश (मानसून) सत्र]		29 आषाढ़, 1940 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

--:प्रश्नोत्तर:-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

--:ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य:-

- (04)- श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-17.07.2018, 18.07.2018 एवं 19.07.2018 से स्थगित)
- (05)- श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-17.07.2018, 18.07.2018 एवं 19.07.2018 से स्थगित)
- (06)- श्री अशोक कुमार एवं श्री अमित कुमार मंडल, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खान एवं भू-तत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-17.07.2018, 18.07.2018 एवं 19.07.2018 से स्थगित)

कृ०पृ०उ०/-

- (07)- श्रीमती सीमा देवी,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खान एवं भू-तत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-17.07.2018,18.07.2018 एवं 19.07.2018 से स्थगित)
- (08)- श्रीमती विमला प्रधान,स0वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्राद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग)की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-17.07.2018 ,18.07.2018 एवं 19.07.2018 से स्थगित)
- (09)- श्री नागेन्द्र महतो,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:- 18.07.2018 एवं 19.07.2018 से स्थगित)
- (10)-श्री राज सिन्हा,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:- 18.07.2018 एवं 19.07.2018 से स्थगित)
- (11)-श्री कुणाल षडंगी,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (विधि विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:- 18.07.2018 एवं 19.07.2018 से स्थगित)
- (12)- श्री अरूप चटर्जी,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:- 18.07.2018 एवं 19.07.2018 से स्थगित)
- (13)- श्रीमती विमला प्रधान,श्री राधाकृष्ण किशोर एवं श्री राम कुमार पाहन स0वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग)की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:- 18.07.2018 एवं 19.07.2018 से स्थगित)
- (14)- श्री स्टीफन मराण्डी ,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-19.07.2018 से स्थगित)
- (15)-श्रीमती गंगोत्री कुजूर एवं ग्लेन जोसेफ ग्लॉस्टीन,स0वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-19.07.2018 से स्थगित)
- (16)-श्री अनन्त कुमार ओझा,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-19.07.2018 से स्थगित)

- (17)- सर्वश्री भानू प्रताप शाही, प्रकाश राम एवं डॉ. इरफान अंसारी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-19.07.2018 से स्थगित)
- (18)- श्री आलमगीर आलम, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-19.07.2018 से स्थगित)
- (19)- श्री रवीन्द्रनाथ महतो एवं श्री स्टीफन मराण्डी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (20)- श्री बादल, स०वि०स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (21)- श्रीमती मेनका सरदार, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (22)- श्री नागेन्द्र महतो, श्री जयप्रकाश वर्मा एवं श्रीमती गंगोत्री कुजूर, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (23)- श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

- (24)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- (25)- मुख्यमंत्री (प्रभारी वित्त) श्री रघुवर दास प्रस्ताव करेंगे कि भारत के संविधान के अनु०-151(2) के अनुसरण में मैं भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का वित्तीय वर्ष 2016-17 का वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे, राज्य वित्त तथा राजस्व क्षेत्र का प्रतिवेदन जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदया के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखता हूँ तथा इस कम में मुख्यमंत्री (प्रभारी वित्त) श्री रघुवर दास पुनः प्रस्ताव करेंगे कि विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उन पर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किये जाने के पूर्व यह जनता में विक्री के लिए प्राप्त हो।

- (26)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
(27)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: विधायी कार्य :-

बिहार राजभाषा (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018

- (28)-कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि “ बिहार राजभाषा (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
(29)- कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
(30)- कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि “ बिहार राजभाषा (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018” पर विचार हो।
(31)- कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार राजभाषा (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018” स्वीकृत हो।

झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि विधेयक, 2018

- (32)-विधि विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि “ झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि विधेयक, 2018” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
(33)-विधि विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
(34)-विधि विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि “ झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि विधेयक, 2018” पर विचार हो।
(35)-विधि विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि “ झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि विधेयक, 2018” स्वीकृत हो।

झारखण्ड जल, गैस और ट्रेनेज पाइप लाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) विधेयक, 2018

- (36)-जल संसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, प्रस्ताव करेंगे कि “ झारखण्ड जल, गैस और ट्रेनेज पाइप लाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) विधेयक, 2018” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
(37)- जल संसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

- (38)- जल संसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, प्रस्ताव करेंगे कि " झारखण्ड जल, गैस और ड्रेनेज पाइप लाइन(भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) विधेयक, 2018" पर विचार हो।
- (39)- जल संसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, प्रस्ताव करेंगे कि " झारखण्ड जल, गैस और ड्रेनेज पाइप लाइन(भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) विधेयक, 2018" स्वीकृत हो।

कैपिटल विश्वविद्यालय विधेयक, 2018

- (40)- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि " कैपिटल विश्वविद्यालय विधेयक, 2018" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (41)- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगी।
- (42)- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि " कैपिटल विश्वविद्यालय विधेयक, 2018" पर विचार हो।
- (43)- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि " कैपिटल विश्वविद्यालय विधेयक, 2018" स्वीकृत हो।

उषा मार्टिन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

- (44)- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि " उषा मार्टिन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 " को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (45)- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगी।
- (46)- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि " उषा मार्टिन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018" पर विचार हो।
- (47)- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि " उषा मार्टिन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018" स्वीकृत हो।

साईनाथ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

- (48)- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि " साईनाथ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 " को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (49)- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगी।

- (50)-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव, प्रस्ताव करेंगी कि “ साईनाथ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,2018” पर विचार हो।
- (51)-उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव,प्रस्ताव करेंगी कि“ साईनाथ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018”स्वीकृत हो।

औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2018

- (52)-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार, प्रस्ताव करेंगे कि “ औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2018”को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (53)-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (54)-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार,प्रस्ताव करेंगे कि “ औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2018”पर विचार हो।
- (55)-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार,प्रस्ताव करेंगे कि “ औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2018”स्वीकृत हो।

झारखण्ड श्रम विधियाँ (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, विधेयक,2018

- (56)-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार,प्रस्ताव करेंगे कि “ झारखण्ड श्रम विधियाँ (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,विधेयक,2018” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (57)- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार,,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (58)- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार,प्रस्ताव करेंगे कि “ झारखण्ड श्रम विधियाँ (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, विधेयक,2018”पर विचार हो।
- (59)-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार,,प्रस्ताव करेंगे कि “ झारखण्ड श्रम विधियाँ (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, विधेयक,2018”स्वीकृत हो।

ढेका ढजदूर (विनियढन ँवं उढ्ढूलन)(झारखणुड संशुधन) विधेयक,2018

- (60)-श्रढ नुडुडन ँवं प्रशुकुषण वुडडडग के प्रडडरु डंनुडुरी शुरी ररुड डलुवर,प्रसुतलव करुंगे कु "ढेका ढजदूर (विनियढन ँवं उढ्ढूलन) (झारखणुड संशुधन) विधेयक,2018"कु डुरःसुथलडडत करुने कुी अनुडडतु डुी डरुड।
- (61)-श्रढ नुडुडन ँवं प्रशुकुषण वुडडडग के प्रडडरु डंनुडुरी शुरी ररुड डलुवर, उडरुडुक्त विधेयक कु डुरःसुथलडडत करुंगे।
- (62)-श्रढ नुडुडन ँवं प्रशुकुषण वुडडडग के प्रडडरु डंनुडुरी शुरी ररुड डलुवर,प्रसुतलव करुंगे कु "ढेका ढजदूर (विनियढन ँवं उढ्ढूलन) (झारखणुड संशुधन) विधेयक,2018"डर वुडरर डुु।
- (63)-श्रढ नुडुडन ँवं प्रशुकुषण वुडडडग के प्रडडरु डंनुडुरी शुरी ररुड डलुवर,प्रसुतलव करुंगे कु "ढेका ढजदूर (विनियढन ँवं उढ्ढूलन) (झारखणुड संशुधन) विधेयक,2018"सुवीकुत डुु।
- (64)- अनुड नुतलनुत आवशुडक करुडरु (डदु डुु)।

(डुनड कुडडर सुंडु)

डुरडडरु सकुव,

झारखणुड वुधलन सडड,रुँकुी।

झलड संखुडरु:-करुडरु0कुड0सु0-05/2018-3362/वु0स0,रुँकुी,दुनलंक-..... 13/07/18
डुरतुलुडडडु:- डडननीड सदसुडगण,झारखणुड वुधलन-सडड,रुँकुी/डडननीड डुरुखुडडंनुडुरी/
डडननीड डंनुडुरीगण/सरुकर के डुरुखुड सकुव,झारखणुड/ डडननीडरु ररुडुडडल के डुरधलन सकुव/
डडलधुवकुतल,झारखणुड,रुँकुी/लुकसडड,नई दुलुलुी/झारखणुड सरुकर के सडसुत वुडडडगु कुु
सुँकुनरुडरु ँवं आवशुडक करुडरुवरुई डुु डुरेडुडत।

(सरुड कुडडरु)

अवर सकुव, झारखणुड वुधलन सडड,रुँकुी।

झलड संखुडरु:-करुडरु0कुड0सु0-05/2018-3362/वु0स0,रुँकुी,दुनलंक-... 13/07/18
डुरतुलुडडडु:- संडुक्त सकुव,अधुडकुषीड करुडरुडलड ँवं आडुत सकुव,सकुवुीड करुडरुडलड
कुु कुडसुः डडननीड अधुडकुष डडुुदड ँवं डुरडडरु सकुव डडुुदड के सुँकुनरुडरु डुरेडुडत।

(सरुड कुडडरु)

अवर सकुव,झारखणुड वुधलन सडड,रुँकुी।

झलड संखुडरु:-करुडरु0कुड0सु0-05/2018-3362/वु0स0,रुँकुी,दुनलंक-..... 13/07/18
डुरतुलुडडडु:- झारखणुड वुधलन-सडड के सडुी डदलधुकरुीगण/वेडसलईत शरुखुरल/
डुसुतकलड शरुखुरल ँवं डनसडुडरुक शरुखुरल कुु सुँकुनरुडरु ँवं आवशुडक करुडरुवरुई डुु डुरेडुडत।

(सरुड कुडडरु)

अवर सकुव,

झारखणुड वुधलन सडड,रुँकुी।